कार्यकारी अधिकारी, टी. टी. डी., तिरुपति

बनाम

ए. एस. नारायण दीक्षितुलु और अन्य

9 मई, 1997

[के. रामास्वामी और डी. पी. वाधवा, जे. जे.]

आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और अक्षय निधि अधिनियम, 1987:

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम-अर्चक और अन्य ऑफिसर-नियुक्ति के वंशानुगत अधिकार का उन्मूलन-आर चकों और अन्य अधिकारियों को किया गया भुगतान-अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए टी. टी. डी. द्वारा आवेदन उच्चतम न्यायालय द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तिरुपति को खातों के अवलोकन और संबंधित अधिकारों के निर्धारण के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश।

आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इस न्यायालय ने कहा कि आर चकों और अन्य पदधारकों के

वंशानुगत अधिकारों का उन्मूलन असंवैधानिक नहीं था। * तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी को भी अर्चकों को किए गए भुगतान पर काम करने की अनुमति दी गई थी । उनके द्वारा दायर अन्य वर्तमान याचिकाओं में कहा गया है कि उन्हें उनसे अधिक प्राप्त हुआ है। उन्होंने (1) अर्चकों, गेमकारों, जीयामगरों और अन्य मिरासीदारों को भुगतान की गई राशि के साथ-साथ उनके द्वारा प्राप्त प्रसाद के खाते को वापस करने के लिए निर्देश; (2) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तिरुपति को एफ गेमकारों द्वारा प्रस्तुत नकद प्रतिभूतियों को टी. टी. डी. खाते में जमा करने का निर्देश और (3) अर्चकों को आवेदन, इस अदालत द्वारा प्रस्तुत अचल संपत्ति प्रतिभूतियों के बराबर टी. टी. डी. को नकद वापस करने का निर्देश देने का आदेश दिया।

उक्त प्रार्थना पत्र को निश्तरित करते समय द्वारा इस मामले को पर्याप्त रूप से तब तक नहीं निपटाया जा सकता है जब तक कि खातों पर विचार नहीं किया जाता है और संबंधित अधिकार नहीं होते हैं । तब तक उपयुक्त पाठ्यक्रम यह होगा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तिरुपति को एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करना चाहिए क्योंकि 1 विभिन्न व्यक्तियों को किए गए भुगतान से संबंधित सभी रिकॉर्ड अधिवक्ता के समक्ष रखेगा अधिवक्ता आयुक्त आयुक्त सभी को नोटिस देंगे मिरासीदार और गेमकार अपने-अपने अधिकारों एवं देता का आकलन करते हैं । और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष एक रिपोर्ट रखी जाएगी जो आयुक्त

की रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले सभी व्यक्तियों को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस भी देगा और उनकी आपत्तियों को सुनने के बाद, यदि कोई हो, तो संबंधित द्वारा किए जाने वाले धनवापसी के आदेश को पारित करेगा। मिरासीदार/गेमकार मामले में वापस की जाने वाली राशि पर्याप्त है और यदि मिरासीदार/गेमकार इसके तहत कोई नियुक्ति नहीं मांग रहे हैं याचिकाकर्ता की सेवा, उनके द्वारा जब्त की गई प्रतिभूति फर से राशि प्राप्त करने के बाद, शेष राशि की वसूली इस तरह की जाएगी जैसे कि यह इस न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री है और इसे आदेश XXI में डिक्री के निष्पादन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है, मामले में अर्चकों/गेमकारों को सी याचिकाकर्ता की सेवा में नियुक्ति की मांग करनी चाहिए और यदि उनके पास कोई पर्याप्त अचल संपत्ति नहीं है संपत्ति, उसी को उन्हें देय परिलब्धियों के हिस्से से आसान किश्तों में वसूल किया जा सकता है।

ए एस नारायण दीक्षितुलु v आंध्र प्रदेश और अन्य, [1996] 9 एस. सी. सी. 548, संदर्भित।

मूल न्यायनिर्णयः आई. ए. नं. 12

रिट याचिका (सी) संख्या 638/1987

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

डी. डी. ठाकुर, पी. पी. राव, हरदेव सिंह, डॉ. गौरी शंकर, सी. फ. मुकुंद , टी. वी. रत्नम, बी. कांता राव, के. राम कुमार, सी. बालासुब्रमण्यम, श्रीमती आशा नायर, वी. बालाजी, एन. गणपति, ए. टी. एम. सैम पथ, सुश्री मधु मूलचंदानी, एस. मार्कंडेय, श्रीमती चित्रा मार्कंडेय, सुश्री मीनाक्षी अग्रवाल, ए. सुब्बा राव, ए. डी. एन. राव, वी. बालचंद्रन, जैन हंसारिया एंड कंपनी, पी. एन. रामलिंगम, बी. पार्थसारथी, वाई. पी. राव, सुश्री साधना रामचंद्रन, सुश्री बी. सुनीता राव और सुश्री एच. वाही, जी. उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

के. रामास्वामी, जे.

आई. ए. सं. 12/97 रिट याचिका सं. 638/87 में टी. टी. डी. के कार्यकारी अधिकारी, तिरुपति द्वारा निम्नलिखित निर्देशों के लिए दायर किया गया हैः

> "(ए) अर्चकों, गेमकारों, जीयामगरों और अन्य ए. मिरासीदारों को निर्देश देना कि वे उन्हें दी गई राशि वापस करें, इसके अलावा नकद और उनके द्वारा अपने पारिश्रमिक, वेतन और अनुलाभ के रूप में प्राप्त मूल्य दोनों का लेखा-जोखा कार्यकारी अधिकारी, T. T. D. देवस्थानम को दें।

(ख) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तिरुपति को तिरुमाला मंदिर के गेमकारों द्वारा प्रस्तुत नकद प्रतिभूतियों को टी. टी. देवस्थानम के खाते में जमा करने का निर्देश देना, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें भारी राशि का भुगतान किया जाता है, बशर्ते कि उन्हें डब्ल्यू. पी. संख्या 638/1987 आदि में दिए गए फैसले के परिणामस्वरूप 22.6.1987 से 21.3.1996 तक दिए गए वेतन के भुगतान को अंतिम रूप दिया जा सके।

(ग) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तिरुपति को तिरुमाला मंदिर, तिरुमाला के अर्चकों को अचल संपत्ति के बराबर टी. टी. देवस्थानम को नकद राशि वापस करने का निर्देश देने का निर्देश देना। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें भारी राशियों का भुगतान किया जाता है, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूतियां, डब्ल्यू. पी. संख्या 638/1987 आदि में निर्णय के परिणाम पर, 22.6.1987 से 21.3.1996 तक उन्हें भुगतान किए गए परिलब्धियों के भुगतान को अंतिम रूप देने के अधीन हैं, और

(घ) ऐसे आगे या अन्य आदेश या आदेश पारित करना जो मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और आवश्यक हो के ए. एस. नारायण दीक्षितुलु v. आंध्र प्रदेश व अन्य [1996]

9 एस. सी. सी. 548 में निर्णय के पैराग्राफ 136 में, इस न्यायालय ने दोहराया है।"

इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुच्छेद 138 को पारित किए गए अंतरिम निर्देशों को निम्नानुसार कहा गया हैः

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाओं और स्थानांतरण मामलों का निपटारा किया जा रहा है, यह टी. टी. डी. आदि के कार्यकारी अधिकारी के लिए खुला होगा कि वे अर्चकों, मिरासीदारों और गेमकारों आदि को किए गए भुगतान और कानून के अनुरूप अधिकारों पर काम करें और तदनुसार कार्रवाई करें।"

अंतरिम निर्देश अनुच्छेद 136 में निकाले गए थे।यह नहीं है। आवेदन को दोहराने के लिए आवश्यक है, यह पैराग्राफ 7 में कहा गया है कि TTD द्वारा जून 1987 से लेकर जनवरी 1996 तक TTD के अर्चकों और गेमकारों को नकद और अन्य प्रकार से भुगतान किए गए परिलब्धियों की कीमत लगभग Rs.23 करोड़ है। हालांकि, अर्चक और गेमकार उचित एच 372 देने में विफल रहे। और अतिरिक्त जिले को बैंक गारंटी के रूप में 1989 से 1992 के बीच दी गई पूर्ण प्रतिभूति नहीं थी, उन्होंने इस के आदेशों की अवज्ञा की है कि अर्चकों ने 25 अगस्त, 1987 के आदेश के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को Rs.20 लाख की राशि के लिए

केवल अचल संपत्ति की प्रतिभूति प्रदान की थी। लेकिन उन्होंने 7 नवंबर, 1989 के निर्देशों का पालन नहीं किया है।अब वे केवल 5 रुपये lacs. के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी विभिन्न व्यक्तियों को भुगतान की गई कुल राशि निम्नानुसार हैः

"अर्चकस	Rs.10,29,51,634.23
गेमकार्स	Rs.12,49,55,058.36
पेड्डा जीयंगर	Rs.2,07,11,919.57
चिन्ना जीयंगर	Rs. 2,05,90,609.16
पुरोहिथम वेदार	Rs.23,20,179.34
थल्लपाकम	Rs.8, 58, 959.00
कुल	**Rs.27,23,88,359.66"**

श्री पद्मावती अम्मावारु मंदिर, तिरुचानूर के अर्चकों को भी इसी तरह के हिस्से का भुगतान किया गया था जो कि काफी हैं।

इस प्रकार, भुगतान की गई राशि Rs.27,23,88,359.66 है, जिसमें कहा गया है कि श्री पद्मावती अम्मावारू के अर्चकों को भी इसी तरह के शेयरों का भुगतान किया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद, उनके पास नहीं है उनके द्वारा प्राप्त परिलब्धियों के लिए कोई भी खाता प्रस्तुत किया गया है क्योंकि उन्हें देय राशि से अधिक प्राप्त

हुआ है, उनके द्वारा प्राप्त परिलब्धियों का लेखा प्रस्तुत करने के लिए उन्हें दिए गए नोटिस के बावजूद वे इस न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में लेखा प्रदान करने से बच रहे हैं, शामिल होने के लिए दिए गए नोटिस के बावजूद, उनमें से कई के पास नहीं है जैसा कि नीचे कहा गया हैः

> "मिरासीदार अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें मिलने वाले परिलब्धियाँ सेवाओं के लिए पारिश्रमिक और अनुलाभ के लिए तुलना में उनके द्वारा प्रदान की गई राशि भारी होती है द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य, जो अतिरिक्त राशि उन्होंने निकाली है, उसे 22.6.1987 से संस्थान को चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं।"

तदनुसार, उन्होंने अंतरिम मिरासीदारों के संदर्भ में पुनर्भुगतान के लिए निर्देश मांगे हैं । जिन्होंने इसके लिए कोई प्रतिवाद दायर नहीं किया है। हालांकि यह आवेदन 11 फरवरी, 1987 को दायर किया गया था।हम सोचते हैं कि हम इस मामले से पर्याप्त रूप से तब तक नहीं निपट सकते जब तक कि खातों पर विचार नहीं किया जाता है और संबंधित अधिकार यह नहीं सोचते हैं। कि उपयुक्त मार्ग यह होगा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तिरुपति को एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करना चाहिए **या** याचिकाकर्ता अधिवक्ता आयुक्त की फीस वहन करेगा 27 जून, 1987 की अंतरिम निर्देश की तारीख के बाद समय-समय पर सभी मिरासीदारों और गेमकारों आदि को किए गए भुगतान से संबंधित सभी

रिकॉर्ड रखेगा, की तारीख तक विभिन्न व्यक्तियों को किए गए भुगतान का विवरण भी अधिवक्ता को देगा आयुक्त सभी मिरासीदारों और गेमकारों को नोटिस देंगे या जिनके नाम उनके द्वारा याची करता गए हैं। अंतरिम निर्देश राशि से अधिक हैं, वही आयुक्त अतिरिक्त जिले के समक्ष रिपोर्ट रखेंगे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, आयुक्त की रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले, सभी व्यक्तियों को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस भी देंगे और उनकी आपत्तियों को सुनने के बाद, यदि कोई हो, तो संबंधित मिरासीदारों द्वारा किए जाने वाले धनवापसी के आदेश को पारित करेंगे, यदि कोई हो तो धनवापसी की राशि पर्याप्त है और यदि मिरासीदार/गेमकार याचिकाकर्ता की सेवा के तहत कोई नियुक्ति नहीं मांग रहे हैं, तो उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति से राशि का एहसास होने के बाद, शेष राशि की वसूली इस तरह की जाएगी जैसे कि यह इस न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री है और इसे आदेश XXI, CPC में आदेशों के निष्पादन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है।

यदि अर्चकों/गेमकारों को याचिकाकर्ता के सेर्व वाइस में नियुक्ति लेनी चाहिए और यदि उनके पास कोई महत्वपूर्ण अचल संपत्ति नहीं है, तो उसे जी में नियुक्त अर्चकों/गेमकारों को उनके सहयोगी आदेश में अनुमोदित पदनाम के अनुसार देय परिलब्धि के हिस्से से आसान किश्तों में वसूल किया जा सकता है।

तदनुसार आवेदन का निपटारा किया जाता है।

टीएनए।

याचिका का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।